

कच्चे पाम तेल हेतु कृषि उपकरण में कमी

प्रलिस के लिये:

कृषि अवसंरचना विकास उपकरण (AIDC), कूड पाम ऑयल (CPO), राष्ट्रीय खाद्य तेल मशिन-ऑयल पाम (NMEO-OP) योजना, NFSM (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन), तलिहन फसल के लिये खरीफ रणनीति 2021 ।

मेन्स के लिये:

भारत में खाद्य तेलों का उत्पादन और कम आत्मनिर्भरता का कारण, इस दशा में उठाए गए कदम ।

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 12 फरवरी, 2022 से कूड पाम ऑयल (CPO) के लिये कृषि अवसंरचना विकास उपकरण (AIDC) को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है ।

पाम ऑयल:

- पाम तेल वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है ।
- इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है ।
- कमोडिटी के शीर्ष उपभोक्ता भारत, चीन और यूरोपीय संघ (EU) हैं ।

कृषि अवसंरचना विकास उपकरण (AIDC):

- उपकरण (Cess) एक प्रकार का विशेष प्रयोजन कर है जो मूल दरों पर अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है ।
- नए AIDC का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढाँचे के विकास पर निवेश हेतु वित्त एकत्रित करना है ।
- AIDC का उपयोग न केवल उत्पादन को बढ़ावा देने बल्कि कृषि उत्पादन को कुशलतापूर्वक संरक्षित और संसाधित करने में मदद के उद्देश्य से कृषि बुनियादी ढाँचे में सुधार हेतु प्रस्तावित है ।

महत्त्व:

- यह नरिण्य उपभोक्ताओं को और अधिक राहत प्रदान करने तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये लिया गया है ।
 - कृषि उपकरण में कमी के बाद 'कच्चा पाम ऑयल' और 'रफाइंड पाम ऑयल' के बीच आयात कर अंतर बढ़कर 8.25% हो गया है ।
 - कच्चा पाम ऑयल और रफाइंड पाम ऑयल के बीच अंतर बढ़ने से घरेलू रफाइनिंग उद्योग को रफाइनिंग के लिये कच्चे तेल का आयात करने में फायदा होगा ।

खाद्य तेलों की कीमतों के नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम:

- वर्तमान मूल दर में वृद्धि:
 - सरकार ने कूड पाम ऑयल, कूड सोयाबीन ऑयल और कूड सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल दर को 30 सितंबर, 2022 तक के लिये बढ़ा दिया है ।
 - रफाइंड पाम ऑयल पर 12.5 फीसदी, रफाइंड सोयाबीन ऑयल और रफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर 17.5 फीसदी की आयात शुल्क दर 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगी ।
 - इससे उन खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी, जिनकी कम उपलब्धता और अन्य अंतरराष्ट्रीय कारकों के कारण उनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेज़ी का रुख देखा जा रहा है ।
- लागू स्टॉक सीमा:

- जमाखोरी पर लगाम लगाने हेतु सरकार ने पहले [आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955](#) के तहत 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिये खाद्य तेलों और तलिनहनों पर स्टॉक सीमा मात्रा लगाई थी।
 - इस उपाय से बाज़ार में खाद्य तेलों और तलिनहनों की जमाखोरी, कालाबाज़ारी आदि जैसे कस्सि भी अनुचित व्यवहार पर अंकुश लगने की उम्मीद है, ताक खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि न हो।
- **राष्ट्रीय खाद्य तेल मशिन- पाम ऑयल (NMEO-OP):**
 - अगस्त 2021 में सरकार द्वारा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिये '[खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मशिन](#)'- [ऑयल पाम \(NMEO-OP\)](#) योजना की घोषणा की है और इसमें 11,000 करोड़ रुपए (पाँच साल की अवधि में) से अधिक का निवेश शामिल है।

भारत में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था:

- इसकी दो प्रमुख वशिषताएँ हैं जनिहोंने इस क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। पहली, वर्ष 1986 में तलिहन पर प्रौद्योगिकी मशिन की स्थापना जसि वर्ष 2014 में तलिहन और पाम तेल पर एक राष्ट्रीय मशिन (National Mission on Oilseeds and Oil Palm) में बदल दिया गया था।
 - इसके अलावा इसे [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन](#) (National Food Security Mission) में मिला दिया गया था।
- इससे तलिहन के उत्पादन को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को बल मिला। यह तलिहन के उत्पादन में वर्ष 1986-87 के लगभग 11.3 मिलियन टन से वर्ष 2019-20 में 33.22 मिलियन टन की वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है।
- अन्य प्रमुख वशिषता जसिका खाद्य तलिहन/तेल उद्योग की वर्तमान स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, वह है उदारीकरण कार्यक्रम जसिके अंतर्गत सरकार की आर्थिक नीति खुले बाज़ार को अधिक स्वतंत्रता देती है तथा सुरक्षा एवं नियंत्रण के बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और स्व-नियमन को प्रोत्साहित करती है।
- पीली क्रांति (Yellow Revolution) उन क्रांतियों में से एक है जनिहें देश में खाद्य तलिहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये शुरू किया गया था।
- सरकार ने तलिहन के लिये [खरीफ रणनीति](#) (Kharif Strategy), 2021 भी शुरू की है।
 - यह तलिहन की खेती के अंतर्गत 6.37 लाख हेक्टेयर अतरकित क्षेत्र लागू और इससे 120.26 लाख क्वटिल तलिहन तथा 24.36 लाख क्वटिल खाद्य तेल का उत्पादन होने की संभावना है।
- भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले तेलों में मूँगफली, सरसों, रेपसीड, तलि, कुसुम, अलसी, नाइजर बीज, अरंडी पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले प्रमुख तलिहन हैं।
 - हाल के वर्षों में सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का भी महत्त्व बढ़ा है।
 - बगानी फसलों में नारियल सबसे महत्त्वपूर्ण है।

खाद्य तेल उत्पादन में भारत के आत्मनिर्भर होने में बाधाएँ:

- भारत में तलिहन और तेल उत्पादकों के लिये सूक्ष्म सचिई, गुणवत्तापूर्ण बीज, वपिणन बुनयादी ढाँचा और सरकारी नीतियाँ चार मुख्य चतियाँ हैं।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, देश में खाद्य तेलों की कुल घरेलू मांग लगभग 250 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।
 - देश में खपत होने वाले खाद्य तेलों का लगभग 60% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पाम तेल (कच्चा + परिष्कृत) का आयात कुल खाद्य तेल के आयात का लगभग 60% है, जसिमें से 54% इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है।

आगे की राह

- अब तक तलिहन के उत्पादन की कोई व्यापक रणनीति मौजूद नहीं है।
 - कसिान बाज़ार भाव के हिसाब से खेती करते हैं लेकिन जब बंपर उत्पादन होता है तो सरकार तेल और अन्य उत्पादों का आयात करती है जसिके परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट आती है।
- अब समय आ गया है कसरकार के पास खेती, वपिणन और आयात-नरियात के संबंध में कोई योजना हो।
 - सरकार को उत्पादन बढ़ाने के लिये तलिहन हेतु आनुवंशिक रूप से संशोधित खेती को मंजूरी देनी चाहिये।
- जब सीड ऑयल उत्पादन बढ़ाने की बात आती है तो नीति प्रमुख समस्या होती है। वर्षों से कसिान मूँगफली और सूरजमुखी का उत्पादन करते रहे हैं, लेकिन बेमौसम बारिश एवं कीटों के कारण उनहोंने सोया की कृषि की ओर रुख किया है।
- इस प्रकार तकनीकी सहायता के साथ एक सूक्ष्म-स्तरीय योजना होनी चाहिये। दुनिया ने जीएम तलिहन की खेती को स्वीकार कर लिया है और अब समय आ गया है कभारत भी इस मामले पर विचार करे।

स्रोत: पी.आई.बी.